संलग्नक-05
(27)

कार्यवाही विवरण

श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–70,000.04 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 08/12/2021 को दोपहर 12.00 बजे स्थान–ग्राम–खरकेना के ग्राम पंचायत भवन मैदान में तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–70,000.04 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 28.10.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 28.10.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोक सुनवाई दिनांक 08/12/2021 को दोपहर 12.00 बजे स्थान–ग्राम–खरकेना के ग्राम पंचायत भवन मैदान में तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08/12/2021 को दोपहर 12.00 बजे स्थान–ग्राम–खरकेना के ग्राम पंचायत भवन मैदान में तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री जैन, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता के द्वारा श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

1. **श्री ढकेल राम साहू, ग्राम–खरकेना** :– विनोद कुमार जी खदान चला सकते है। हमको किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है।

2. **श्री मुकेश कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– खदान में 5 साल से कार्यरत् हूँ और ये खदान इसी तरह से चलना चाहिए। इससे हमारा रोजी–रोटी रोजगार बना रहे।

3. **श्रीमती लक्ष्मी साहू, ग्राम–खरकेना** :– खदान से हमला कोई तकलीफ नहीं है। विनोद भैया के तरफ से जो भी हमला सहयोग रहथे हमला सहयोग करथे। सदा हमला सहयोग चाहिए।

4. **श्री योगेश्वर साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रं. 17 खरकेना, तखतपुर** :– अग्रवाल मिनरल्स पिछला 1996 से जैसे सर मन बताईस वो टाईम से विगत चलत आथे और लीज भी 50 साल के हो चुके हे और जे यथावत चलत हे ओमन ला और गांव वाला ला मै बोलथव होना नई चाहिए। मोला व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि खनिज सदस्य के तौर से मैं देखत हव हमर गांव मा जो भी गौण खनिज के इतना रायल्टी आईस ओमा काफी हमला रोड़ बनिस, बिजली होईस, शिक्षा होईस वो सब के हमन उपयोग आवत हे और रहीस हमर बात शिक्षा के क्षेत्र मा, गांव मा, हमन देखेन की हाईस्कूल मा अग्रवाल मिनरल्स की ओर से सीसी कैमरा लगादिस, जेमा हमन के विद्यार्थी मन के, हमर शिक्षक मन के, देख–रेख के साथ–साथ सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम करे हे और ओखर बाद कहीं न कहीं हमर गांव के लिए गढ्ढा, और कुछ है, डस्ट चाहिए, मिट्टी चाहिए वो सब सहयोग करथ हे विनोद अग्रवाल जी हा। रही बात खेलकूद मा भी विगत आप मन देखे हे कि पिछले साल कबड्डी होईस ओमा भी बड़–चढ़ के हिस्सा लिस व सहयोग करीस तो हम ला येमा बिल्कुल आपत्ति नहीं होना चाहिए। सदा हमला सहयोग देना है और सहयोग भैया से हमला चाहिए। विनोद अग्रवाल जी से।

5. **श्री संतोष कुमार कौशिक, ग्राम–खरकेना** :– ये प्रस्तावित खदान के बारे में दो शब्द पूछना है माईनिंग वालो से क्या ये क्षेत्रफल उतना ही कि इसके बाद बढ़ रहा है। आज का जो शिविर हैं उसमें क्षेत्रफल बढ़ाने का है कि उसी क्षेत्रफल को आगे बढ़ाने का है, इसको बता दे। दूसरा पर्यावरण के संबंध में विनोद भैया के तरफ से

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

कुछ चर्चा हुई। इसमें वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। खदान खुलने के बाद उस क्षेत्र को हम लोग बचपन से देखे है, काफी बड़ा एरिया था और एकदम जंगल था। इसमें छोटे झाड़ के जंगल आज भी रिकार्ड में मैजूद है। इतना ज्यादा जंगल था अब वो विरान हो गये है। अगर ऐसी ही खनन होगा तो पर्यावरण का क्या सुरक्षा हो पायेगा। पेड़–पौधा लगाना चाहिए। पेड़–पौधा लगाना बहुत जरूरी होगा। इसके बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए। पेड–पौधा लगाने के बारे में, जब तक पेड़–पौधा नहीं लगेगा तो तब तक के खदान से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आगे चलके पेड़–पौधा ही तकलीफ देगा। पेड़–पौधा लगना जरूरी है। जो भी नियम है उसका पालन होना चाहिए पर्यावरण के संबंध में। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बता दे एरिया बढ़ा रहा है अपना क्षेत्र बढा रहा है क्या कर रहा है। लोगों को स्पष्ट कर दें।

6. <u>**श्री संतोष कुमार साहू, ग्राम–खरकेना**</u> :– जैसे अभी संतोष चाचा कहिस हे वो सब होना चाहिए। जे कहत हे ओला। मतलब जंगल खत्म होवत हे, कितना दिन तक जंगल ला बचाबो, पानी ला लेबो। ओ कहीसे हे ठीक कहीस हे और एक ठोक सडक के निर्माण हे, सड़के के मतलब खरकेना–महुदा मार्ग ओहू ला देख लेहा।

7. <u>**श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम–खरकेना**</u> :–विषयांतर्गत् जो अभी बात चलत हे हमर गांव मा श्री विनोद अग्रवाल द्वारा डोलोमाईट माइंस के खदान के अपन जो उत्पादन क्षमता हे। हमर सो जो आवेदक होये हे, अवगत होये हवय। ऐखर जो क्षेत्रफल हे बताईस इमंन तो ओखर क्षेत्रफल हे 5.7 हेक्टेयर क्षेत्र वो हेक्टेयर क्षेत्रफल हा विस्तृत नहीं होये हे ऐसा बताये गये हे। अउ वोमा उत्पादन क्षमता–45000 टन रहीसे हे वोला 75,000 टन कर लो कहत हे। चूंकि ये खदान हमर 25 वर्ष से खुले हवय और हमन देखत हन हमर गांव के या कोई भी गांव के आर्थिक विकास वहां के जो संसाधन होते, प्राकृतिक संसाधन होते। वो प्राकृतिक संसाधन के मद से कुछ भी हमर जो खनिज गौण हे या फिर कोई भी संसाधन हवय। संसाधन के रायल्टी के तौर पर या कर के तौर पर जो ग्राम पंचायत होते वो ग्राम पंचायत के विकास कार्य मा लगते। ऐसने हमर आर्थिक सहयोग या सभाजिक संगठन के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, या शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ भी जरूवर पडते हमला अपन आस–पास के खनिज संपदा के जो प्रोपाराईटर

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपर (छ.ग.)

होते उखर पास हमन जाथन राय ला रखथन तो उन मन हमला सहयोग करथे। चूंकि उखर सहयोग से ही हमर गांव के विकास सुनिश्चित होवत हे। हमर रायल्टी के तौर मा ग्राम ला कुछ मिलत हे। तो मोर हिसाब से अग्रवाल मिनरल ला हमन उत्पादन क्षमता ला बढ़ाये ला कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं दूसरा चीज ऐ कहत हव कि कुछ कहीन कि पर्यावरण के क्षेत्र में जरूर आप मन विकास के बारे पर्यावरण के विकास के बारे मा ध्यान देव क्योंकि वहां पर जरा सा भी पेड़ नहीं बचे हव। तो हमन ये चाहथव कि जो हमर धौराभाटा से खरकेना से धौराभाटा के रोड़ ला आप अपन गोद नामा लेवा। अपन रोड़ ला समतलीकरण करके चारो तरफ से वृक्षारोपण करके परिपूर्ण करव।

8. **श्री ताराचंद साहू, ग्राम–खरकेना** :– श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी डोलोमाईट खदान खरकेना जिनकी उत्पादन क्षमता 70,000 करने के लिए आवेदन किये हैं। उस पर मैं थोड़ा अपना विचार रखना चाहता हूँ। इनके द्वारा हमारे गांव में विभिन्न कार्य में सहयोग प्रदान किये गये है। जैसे खेलकूद, कबड्डी हमारे गांव में या दुर्गा पूजा या नवधा–रामायण सबमें सहयोग करते है ठीक है। लेकिन थोड़ा अपना ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ये हमारे गांव में या आसपास में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। आज 10 एचपी पॉवर से अपना भू–जल को बाहर बाहर भेज रहे है उसको चाहता हॅ कि हमारे अगल–बगल में भू–जल हमारे 100 क्यूबिक मीट्रिक से 350 क्यूबिक मीट्रिक उत्पाद क्षमता का जल स्त्रोत उत्सर्जन करेंगे। तो हमारे आज 300 फीट से पानी निकल रहा है। 10 साल बाद हम कितने कॉमपीटिर में जायेंगे। इस पर थोड़ा सा करें। मै चाहता हूँ कि हमारे गांव का पानी है हमारे खदान का पत्थर निकाल रहे है। जो पानी को बाहर फेक रहे है। वो आज मेड़पार होते हुये नदी पर जा रहा है। उस पानी को हम चाहते है वह हमारे गांव में आये, जिससे हमारा कम से कम जल स्त्रोत है भू–जल का स्तर है वो बना रहेगा। वहां पर एक स्टोर रूम बना हुआ है। मेडपार का 2–3 ठोक डमिंग है। उसमें अगर स्टोरेज करें, उसके नीचे आ जाता है तालाब बना। उसमें स्टोरज करे, जिससे हमारा भू–जल स्तर थोड़ा सा उपर आ जाये। मैं प्रोपाराईटर से निवेदन करूॅगा का कि इसका थोड़ा सा ध्यान दे।

9. **श्री गोपाल प्रसाद यादव, ग्राम–खरकेना** :–श्री विनोद अग्रवाल डोलोमाईट के द्वारा हमारे गांव मे लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देते है तथा गांव के विकास के

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

लिए प्रतिवर्ष रायल्टी के माध्यम से शासन के द्वारा प्रतिवर्ष हिसाब से विकास प्रदान करते है। व्यक्तिगत मुझे कोई आपत्ति नही है।

10. **श्री छोटेलाल साहू, समाजिक कार्यकर्ता ग्राम–खरकेना** :–खुशी की बात है जो जन सुनवाई हो रहा है, जन–जन के विचार को जानना चाहिए। अग्रवाल जी काफी वर्षो से तो खदान चला रहे है। सत्य की बात है। लेकिन थोडा सा माईनिंग वाले ये ध्यान दें कि माईनिंग अधिनियम कितने का है खोदाई का आदेश है। वहां पर थोडा ध्यान देना चाहिए। ताकि किसी की जान माल की खतरा न हो उसमे। जैसे कटीला तार की होना चाहिए। कटीला तार की व्यवस्था करना चाहिए, वृक्षारोपण होती ये सब करना चाहिए। हम नहीं चाहते उसका विरोध करें कि शासन 50 साल का लीज बनाकर दे दिया है तो हम गांव वाले विरोध करके क्या करेंगें। सत्य बात है सहयोग देता है हम लोग विरोध नहीं कर रहे है। हम उससे एक ही मांग कर रहे है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये ताकि किसी का जानमाल का खतरा न हो और जो पानी है नदी में बह रहा है उसको एक्चुवल में जो पानी स्त्रोत है। वो जल स्तर खरकेना की 500, 400, 300 फीट, गहराई से ले। वहां पर जल का स्त्रोत बन जाये वहां पर पानी जो बांध बना हुआ है शासन की बहुत बडा बांध है बांध 25 से 30 एकड़ में बांध बना है। वो बांध में पानी डम्प किया जाये। जो सारी पानी का स्त्रोत है जो नीचे जा रहा है वो उपर आ जायेगी, लेबल आ जायेगी। जो हमारे पीढ़ी है जो हमारे परिवार है बच्चे है वो हमे ऐसा न कहे कि हमारे पूर्वजो ने खदान से ऐसा–ऐसा करके खदान में बर्बाद कर दिया, खेती को बर्बाद कर दिया। ये कहने का अवसर न आये। तो आगे भविष्य को देखते हुए पानी को डम्प करना चाहिए। दूसरी बात हम जो खरकेना से महुदा रोड़ है माईनिंग विभाग वाले देखे होंगे। उसमें अगर एक जानवर गिर जाये तो बचने वाला नहीं है। इसमें निवेदन है अग्रवाल जी से तार फैंसिंग शीघ्रता व्यवस्था जरूर करें। जैसे कि ये माइंस हमारे खरकेना गांव में है तो मै चाहता हूॅ कि जो बाहर के कर्मचारी रखते है वो परिस्थिति देखकर हमारे गांव में पढे लिखे युवक है उस युवक को रोजगार देने की दया करेंगे।

11. **श्री भागवत प्रसाद साहू, ग्राम–खरकेना** :– अग्रवाल जी से ये पूछना चाहता हूॅ कि हमारे गांव में जितने भी मजदूर है। उसका परसेंट क्या है ? हमारे यहां वहां

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

मजदूर कम लगा है, जितने भी युवा है उन लोगों को रोजगार नहीं है वहां पे, एक दो लड़के है जो वहां काम करते है। मेरे को बतायेंगे।

12. **श्री परमेश्वर साहू सरपंच, ग्राम–खरकेना** :– श्री विनोद कुमार अग्रवाल खरकेना डोलोमाईट माइंस ने गांव के व्यक्तियों को खदान में कार्य करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मैं भैया से निवेदन करता हूँ कि गांव में बहुत से युवा बेरोजगार है। उनको और अपने खदान में नियमित तौर पर उसे कार्य पर रखे। करोना महामारी काल में विनोद अग्रवाल के द्वारा हमारे गांव के सुख–दुख में सहयोग मिलता रहा है और यही आशा विश्वास सदैव रहेगा। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय, खरकेना में सी.सी. टीवी कैमरा, भैया के द्वारा लगवाया गया था। जिसे वहां पर पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के ऊपर एवं शिक्षक–शिक्षकाओं के उपर कैमरे के द्वारा निगरानी रखा जा सके, जिससे किसी भी प्रकार का दुघर्टना घटित न हो। इसके द्वारा भैया के द्वारा सहयोग दिया गया था। पानी पीने के लिए वहां एक वॉटर कूलर का व्यवस्था वहां करवाया गया था। इसी तरह भैया हमारे गांव के विकास कार्यो के लिए सहयोग हमेशा देता रहे। यही आशा के पास है। वक्त प्रोपाराईटर के द्वारा गांव की सभी धार्मिक अनुष्ठान व सांस्कृतिक खेलकूल अन्य कार्यो के लिए सहयोग राशि भी दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को कुछ महिना पहले हमारे गांव में एक कार्यक्रम हम लोग करवाये थे। जगराता हुआ था उसमें भैया का सराहनीय सहयोग था। भैया से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत खरकेना से जो छोटा मेडपार पहुंच मार्ग रोड़ है वहां वृक्षारोपण आपके द्वारा कराये। हमारे गांव के लोगों को पर्यावरण से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होये। यही निवेदन है और हमे खदान का भार क्षमता बढ़ाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आज जो भी हमारे गांव में विकास हो रहा है। वो होते आ रहा है वो सिर्फ–सिर्फ खदान से लीज की प्राप्त राशि के बदौलत हमारे गांव में विकास हो रहा है। कोरोना काल के चलते शासन अभी कुछ ज्यादा राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मगर उसके बावजूद भी खदान के रायल्टी से हमें और हमारे ग्राम पंचायत को कार्य कराने के लिए राशि उपलब्ध होता आ रहा है और हमेशा रहेगा, तो हमे भार क्षमता बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

13. **श्री छन्नूराम साहू, ग्राम–खरकेना** :– इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ हमारे समस्त किसान भाईयों को जो हमारे बीच जन सुनवाई शिविर विनोद अग्रवाल के द्वारा रखा गया है। उस बात को चिन्तन करें, मैं इस बात को चिन्तन कर रहा हूँ। जो अधिभार के लिए अपना माईनिंग को अधिभार के लिए वो शिविर लगाया हुआ है। आप सभी किसान भाईयों से निवेदन करता हूँ कि हमारा जो टयूबवेल के गहराई के अनुसार से पानी का जो स्त्रोत है। वो ऊपर आयेगा कि गहरा होगा। इस बात को ध्यान देते हुए आप सबको आकर्षित करता हूँ।

14. **श्री मनोज कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :–खदान का भार क्षमता बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

15. **श्रीमती गंगा साहू, माईनिंग सदस्य तखतपुर** :–मैं विनोद भैया अग्रवाल से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव के इतना पढ़े–लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सबको रोजगार देवे और अधिक गहराई पर ध्यान देवें। अधिक गहराई न करें।

16. **श्री प्रकश कुमार साहू, खरकेना** :– लगभग 20 वर्ष से काम किये है। यूनियन गिरी कराकर हटा दिया है। नये मजदूर को रखा गया। आज हम लोग की स्थिति दैयनिय स्थिति खराब है। मेरी पत्नी भी काम की है। मेरी मां की तबियत खराब हो गई, मृत्यु हो गई। आर्थिक सहायता हेतु आफिस गये। पीढ़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की महान कृपा करें।

17. **श्री गणेश राम, खरकेना** :– कई ठन घटकरी रखे हे, विनोद साहब हा। पत्थर फोडईया कई झन रखे हे। ये जतका खदान हमर खरकेना के कई झन खटकरी रखे हे पत्थर फोड़ईया हमर गांव के ऐला बताओ। रखे हे गा 10–20 ठन गढ़ी। सब मन ला मशीन में काम करथव। हमन भूख प्यास मरथन. खरकेना वाले, भूख प्यास तो कहां रखे। रखो ना भाई तब तो भूख-प्यास नहीं मरबो। रखीया तो नई मरबो। अब तुमन मशीन मा पेरावथन काम करावा था। खरकेना के लेवर तो भूख प्यास मरही।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:20 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 1:50 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 11 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 17 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 76 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)